राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/27 **दिनांक 04.04.2020**

आदेश संख्या सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/3/ (अनुलग्नक–I), दिनांक 26.3.2020 द्वारा दिल्ली के सभी जिला मजिस्टेट को प्राधिकृत किया गया है और यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहने तक, समाज के निर्धन वर्गों को भोजन उपलब्ध कराने और दिल्ली को भूख मुक्त बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, अपने–अपने जिलों में बेघर/बेसहारा/गरीबों या मुसीबत में पड़े लोगों को नियमित रूप से दिन और शाम का भोजन देने का आवश्यक प्रबंध करें।

और दिनांक 26.3.2020 के उपर्युक्त आदेश के तहत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप सभी जिला मेजिस्ट्रेट ने अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येक नगर पालिका वार्ड मं दो समुचित स्थानों को भोजन केन्द्र/भूख राहत केन्द्रों के रूप में विकसित कर अधिसूचित समय पर प्रतिदिन 500 लोगों के लिए दिन और शाम का भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने दिनांक 29.3.2020 (अनुलग्नक–II) के आदेश द्वारा राज्य/केन्द्र शासित सरकारों और राज्य/केन्द्र शासित प्राधिकरणों को अपने संबंधित क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी कामगारों सहित गरीब और जररूतमंद लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल और भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।

और आदेश संख्या डीडीएमए/कोविड/2020/1/14 दिनांक 02.02.2020 (अनुलग्नक–III) द्वारा यह निर्देश दिया गया है और अनिवार्य किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जैसे शिक्षा निदेशालय (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और संबंधित नगर निगमों के स्कूलों में, जहां जिला मेजिस्ट्रेट/पुलिस उपायुक्त के संयुक्त आकलन के अनुसार ऐसे केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है, पर्याप्त संख्या में जरूरतमंद लोगों को दो वक्त, दिन और शाम का भोजन उपलब्ध कराने का आवश्यक प्रबंधन (पहले से जारी प्रबंधन के अलावा) किया जाये।

इसलिये सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है :

1. भोजन/भूख राहत केन्द्रों पर वितरित किये जाने वाले भोजन की मात्रा और गुणवत्ता की निगरानी व्यवस्था मजबूत करना।

2. यह सुनिश्चित करना कि भोजन की मात्रा और गुणवत्ता के साथ–साथ भोजन वितरण का समय और लाभार्थियों की पर्याप्त संख्या पर निगरानी की विश्वसनीय व्यवस्था समुचित रूप से संचालित हो।

3. यह सुनिश्चित करना कि ऐसे केन्द्र की जहां लाभार्थियों की संख्या मुफ्त राशन वितरण/पेंशन में वृद्धि जैसे सरकार के अन्य राहत/कल्याणकारी उपायों के कारण कम हो गयी हो, पहचान की जाये और किसी अन्य केन्द्र में उसका विलय कर दिया जाये।

4. जहां भी धर्मादा संगठनों/गैरसरकारी संगठनों द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गयी हो, वहां अधिकारिक रूप से उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाये और न ही इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से कोई राशि ली जाये। भोजन की आपूर्ति करने वाली एजेंसी/वेंडर के दावों का भुगतान केन्द्र के प्रभारी सरकारी अधिकारी द्वारा, उपलब्ध कराये गये भोजन की संख्या, उनकी मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में निर्धारित नियमों के अनुसार पुष्टि के बाद ही किया जाये।

5. किसी भी स्थिति में दोपहर भोजन योजना के अनुसार उपलब कराये गये भोजन के लिए जन आहार की दरों का भुगतान न किया जाये, दोपहर भोजन के लिये केवल दोपहर भोजन दर की प्रभारित की जा सकती है। जन आहार दरें केवल जन आहार के तहत दिये गये भोजन पर ही लागू होंगी।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट को कड़ाई से अनुपालन एवं रिपोर्ट हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, दिल्ली।
4. अनुभाग अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली/अध्यक्ष एसईसी (डीडीएमए)।
5. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
7. आयुक्त (दक्षिण/पूर्व/उत्तर, दिल्ली नगर निगम)।
8. गार्ड फाईल